न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 28/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.................प्रार्थी

बनाम

1.श्री शिव कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गोविन्द प्रसाद अग्रवाल निवासी अमित कुंज मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर

2. मैसर्स अमित पेट्रो केमिकल्स खसरा नं0/प्लॉट नं0 48, 712/56, 713/56, 714/56 ग्राम चौसला, एचपी पेट्रोल पम्प के पास तहसील अराई जिला अजमेर

............अप्रार्थी

उपस्थित :-

श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
श्री प्रीतम सिंह सोनी अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक- 22.03.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 02.02.2023 को अवैध पेट्रोलियम पदार्थ रोकथाम अभियान आदेश की पालना में प्राप्त शिकायत की जॉच के क्रम में श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय जांच दल द्वारा मैसर्स अमित पेट्रो केमिकल खसरा नम्बर /प्लॉट नं0 48, 712/56, 713/56, 714/56 ग्राम चौसला, एच.पी. पेट्रोल पम्प के पास, तहसील अराई अजमेर स्थल पर पहुॅचे। वक्ता जांच मौके पर उपस्थित श्री शिव कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गोविन्द प्रसाद, अग्रवाल निवासी एस 63 अमित कुॅज, मित्र निवास कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ द्वारा स्वयं को फर्म का प्रोपराइटर बताया गया और जॉच कार्य करवाया गया। वक्त जांच मौके पर परिसर में 06 बडे सिलेण्ड्रीकल टैंक (क्षमता प्रत्येक 35 के.एल) रखे पाये गए जिन प्रत्येक टैंक में तरल पदार्थ निकासी के ओपन आउटलेट वाल्व लगे होना पाया गया। मौके पर पाये गए उक्त टैंको के पास एक ट्रक टैंकर रजिस्टेशन संख्या आर. जे.01.जी 4906 खडा पाया गया जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया। मौके पर परिसर में टैक संख्या 01 व 03 तथा ट्रक टैकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.01.जी 4906 में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया जिसे निकालकर देखने व सूंघने पर पेट्रोलियम पदार्थ के समकक्ष होना पाया गया जिसके संदर्भ में एच.पी.सी.एल के सैल्स अधिकारी श्री नमोनारायण मीणा द्वारा परीक्षण द्वारा अवगत करवाने पर यह मिलावटी एवं ज्वलनशीन पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। मौका परिसर में पेट्रोलियम पदार्थ के व्यवसाय/कारोबार के बारे में श्री शिव कुमार अग्रवाल से जानकारी लेने पर उनके द्वारा कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर का संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 12.07. 2022 प्रस्तुत किया गया। मौके पर शिव कुमार द्वारा एक खरीद बिल मैसर्स पारसथान ऑरगेनिक प्राईवेट लिमिटेड, गांधीधाम कच्छ गुजरात बिल संख्या Popl/Guj/22/107 दिनांक 14.11.2022 पदार्थ Composit Solvent (Mix Solvent) मात्रा 28780 किग्रा दर 65.750 प्रति किग्रा कुल राशि 2232896.00 रूपये तथा दो विक्रय बिल सं0 11 दिनांक 22.01.2023 मात्रा 1100 लीटर उत्पाद Composit Solvent दर 74.58 प्रति लीटर तथा बिल संख्या 02 दिनांक 31.10.22 मात्रा 2365 लीटर दर 50 रूपये प्रति लीटर प्रस्तुत किये गये। अन्य खरीद व बिकी वक्त जांच प्रस्तुत नही

जिला कलक्टर,
अजमेर

किए गए। मौके पर श्री शिवकुमार से सोलवेन्ट, रेफिनेट और स्लॉप आदेश 2000 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र मांगे जाने पर उनके द्वारा कोई अनुज्ञा पत्र जारी नही होना बताया गया जबकि खरीद व बिक्री बिल सोलवेन्ट के नाम से जारी किये जाना पाया गया। मौके पर ही एच.पी.सी.एल पेट्रोलियम के सेल्स अधिकारी श्री नमोनारायण मीणा द्वारा परिसर एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं परिसर में जमीन पर खुले में रखे टैंको में किये जा रहे पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व व्यवसाय को पेट्रोलियम नियमों का उल्लंघन होना एवं सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण व घातक बताया गया। मौके पर किसी प्रकार की औद्योगिक ईकाई विनिर्माण इकाई संचालित नहीं होना पाया गया तथा परिसर में केवल पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसाय का सेटअप लगा पाया गया। मौके पर सिलेण्ड्रीकल टैंको मे लगे आउटलेट वाल्व से पाईप के द्वारा इलेक्ट्रीक पम्पिंग मशीन से पेट्रोलियम पदार्थो का एक दूसरे में मिश्रण कर एवं ट्रक टैंकर में पेट्रालियम पदार्थ के भण्डारण व मिश्रण पेट्रोलियम पदार्थो के खरीद व बिक्री बिल से इस स्थान पर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थो का व्यवसाय किया जाना प्रमाणित हुआ। फर्म का कृत्य पेट्रोलियम रूल्स एवं सोलवेट आदेश 2000 एवं Ms and HSD Order 2005 का का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर श्री शिव कुमार अग्रवाल से मौके पर ही राज्य हित में एक ट्रक टैंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे.01 जी 4906, 22780 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, लोहे के 35 ड्रम, एक इलेक्ट्रीक मशीन 0.75–1.0 एचपी जिसके दो तरफ पाईप व वाल्व जुड़े है, प्लास्टिक की खाली बोतल आधा लीटर की 1070, एक लीटर की 460, तीन लीटर 140 चार लीटर की 84 बोतले एक जनरेटर डीजल कम्पनी किलोस्कर 10 केवीए कब्जे राज लिये जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना अराई को सुरक्षार्थ सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर लोहे के सिलेण्ड्रीकल टैंक संख्या 01, 02, 03, 04, 05 (प्रत्येक की क्षमता 35 के. एल) जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ का बिना वैध अनुमति के भण्डारण व मिश्रण किया जाना पाया गया। उक्त 05 टैंकरो को श्री शिव कुमार से राज्य हित में कब्जे लिया जाकर यथास्थिति श्री दीपक अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गोविन्द प्रसाद अग्रवाल प्रोपराईटर मैसर्स अमित मिनरल्स ग्राम चौसला अराई निवासी अमित कुंज, मित्र निवास कॉलोनी मदनगंज किशनगढ को सुरक्षित रखने की वचनबद्धता पर सुपुर्द किए। प्रकरण में पुलिस थाना, अराई में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें अनुसंधान जारी है। इस प्रकार मैसर्स अमित पेट्रो केम फर्म एवं फर्म मालिक श्री शिव कुमार अग्रवाल द्वारा आर्थिक लाभ के लिए मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण, मिश्रण व व्यवसाय किया जाना पाया गया इनका यह कृत्य सोल्वेट रेफिनेट तथा स्लॉप आदेश 2000 एवं MS and HSD Order 2005 पेट्रोलियम रूल्स व अन्य प्रवर्तित प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8 व 3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा एक टैक टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.01.जी 4906, 22780 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, लोहे के 05 सिलेण्ड्रीकल टैंक (प्रत्येक की क्षमता 35 के.एल) लोहे के 35 ड्रम, एम जनरेटर, एक इलेक्ट्रिक मशीन, कुल प्लास्टिक बोतले 1754 को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष द्वारा सुनवाई चाहने बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 02.02.2023 को अवैध पेट्रोलियम पदार्थ राकथाम अभियान आदेश की पालना में प्राप्त शिकायत की जॉच के क्रम में श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय जांच दल द्वारा मैसर्स अमित पेट्रो केमिकल खसरा नम्बर/प्लॉट नं0 48, 712/56, 713/56, 714/56 ग्राम चौसला, एच.पी. पेट्रोल पम्प के पास, तहसील अराई अजमेर स्थल पर पहुँचे। वक्ता जांच मौके पर उपस्थित श्री शिव कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गोविन्द प्रसाद, अग्रवाल निवासी एस 63 अमित कुँज, मित्र निवास कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ द्वारा स्वयं को फर्म का प्रोपराइटर बताया गया और जॉच

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

कार्य करवाया गया । वक्त जांच मौके पर परिसर में 06 बडे सिलेण्ड्रीकल टैंक (क्षमता प्रत्यके 35 के.एल) रखे पाये गए जिन प्रत्येक टैंक में तरल पदार्थ निकासी के ओपन आउटलेट वालव लगे होना पाया गया। मौके पर पाये गए उक्त टैंको के पास एक ट्रक टैंकर रजिस्टेशन संख्या आर. जे.01.जी 4906 खडा पाया गया जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया। टैंकर के स्वामित्व सबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वक्त जांच नजरी नक्शा में वर्णित टैंक संख्या 03 में आउट लेट निकासी वाल्व पर एक पाईप लगा हुआ होना पाया गया जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुडा था। इस मोटर के आउट में दुसरा पाईप जुडा हुआ होना पाया गया जिसके आगे लोहे की निप्पल फिट थी। मौके पर परिसर में टैंक संख्या 01 व 03 तथा ट्रक टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.01.जी 4906 में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया जिसे निकालकर देखने व सूंघने पर पेट्रोलियम पदार्थ के समकक्ष होना पाया गया जिसके संदर्भ में एच.पी.सी.एल के सैल्स अधिकारी श्री नमोनारायण मीणा द्वारा परीक्षण द्वारा अवगत करवाने पर यह मिलावटी एवं ज्वलनशीन पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। मौका परिसर में पेट्रोलियम पदार्थ के व्यवसाय/कारोबार के बारे में श्री शिव कुमार अग्रवाल से जानकारी लेने पर उनके द्वारा कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर का संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 12.07.2022 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अमित पेट्रो केमिकल, ग्राम चौसला, तहसील अरांई को इस परिसर में इकाई विनिर्माण प्रयोजनार्थ पेट्रोलियम वर्ग ए, मेथनॉल 105 के.एल. पेट्रोलियम वर्ग बी एम.टी.ओ, सी-09, 210 के.एल व पेट्रोलियम वर्ग नियम सी एम.एफ.ओ. 105 के.एल स्टॉरेज हेतु विस्फोटक विभाग से पेट्रोलियम नियमों के तहत अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने तथा अनुमोदित साईट प्लान पर सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना अंकित होना पाया गया । मौके पर श्री शिव कुमार अग्रवाल द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के सदर्भ में पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो) फरीदाबाद द्वारा जारी अनुज्ञप्ति संख्या पी/एन.सी/आरजे/15/2496 (पी 516970) दिनांक 08.03.2022 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार पी.ई.एस.ओ द्वारा वर्णित और अनुमोदित नक्शा में दिखाये गये स्थान पर भण्डारण के लिए Petroleum Class "A" in bulk 35 Kl, Petroleum Class A otherwise than in bulk 5.00 KL, Petroleum Class "B" in bulk 140 KL, Petroleum Class "B" otherwise than in bulk 10 KL, Petroleum Class "C" in bulk 35 KL, Petroleum Class "C" otherwise than in bulk 05 KL, dqy {kerk 230 KL अंकित होना पाया गया। PESO द्वारा जारी उक्त अनुज्ञाप्ति में अनुज्ञप्त परिसर में पेट्रोलियम क्लास ए का एक पेट्रोलियम क्लास बी का चार एवं पेट्रोलियम क्लास सी का एक अण्डर ग्राउण्ड टैंक Together with connected Facilities अनुमोदित होना पाया गया। मौके पर व्यवसाय के सबंध में जानकारी लेने पर श्री शिवकुमार द्वारा बताया गया कि उनकी फर्म द्वारा गांधीशाम कच्छ गुजरात से कम्पोजिट सॉल्वेट (Mix Solvent) मंगवाकर परिसर में जमीन पर खुल में रखे हुए टैंको में खाली करवाया जाता है तथा विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ को मिश्रित कर नया पेट्रोलियम पदार्थ बनाकर विभिन्न फर्मो को सीधे ही बिक्री किया जाता है तथा प्लास्टिक के आधा लीटर एक लीटर पांच लीटर की बोतलो में पेकिंग कर तारपीन पदार्थ के नाम से ऑयल एवं पेन्ट व्यवसायिओं को भी बिक्री की जाती है। मौके पर शिव कुमार द्वारा एक खरीद बिल मैसर्स पारसथान ऑरगेनिक प्राइवेट लिमिटेड, गांधीधाम कच्छ गुजरात बिल संख्या Popl/Guj/22/107 दिनांक 14.11.2022 पदार्थ Composit Solvent (Mix Solvent) मात्रा 28780 किग्रा दर 65.750 प्रति किग्रा कुल राशि 2232896.00 रूपये तथा दो विक्रय बिल सं0 11 दिनांक 22.01.2023 मात्रा 1100 लीटर उत्पाद Composit Solvent दर 74.58 प्रति लीटर तथा बिल संख्या 02 दिनांक 31.10.22 मात्रा 2365 लीटर दर 50 रूपये प्रति लीटर प्रस्तुत किये गये। अन्य खरीद व बिक्री वक्त जांच प्रस्तुत नही किए गए। मौके पर श्री शिवकुमार से सोलवेन्ट, रेफिनेट और स्लॉप आदेश 2000 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र मांगे जाने पर उनके द्वारा कोई अनुज्ञा पत्र जारी नही होना बताया गया जबकि खरीद व बिक्री बिल सोलवेन्ट के नाम से जारी किये जाना पाया गया। मौके पर ही एच.पी.सी.एल पेट्रोलियम के सेल्स अधिकारी श्री नमोनारायण मीणा द्वारा परिसर एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं परिसर में जमीन पर खुले में रखे टैंको में किये जा रहे पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व व्यवसाय को पेट्रोलियम नियमों का उल्लंघन होना

जिला कलक्टर,
अजमेर

एवं सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण व घातक बताया गया । मौके पर किसी प्रकार की औघोगिक ईकाई विनिर्माण इकाई संचालित नहीं होना पाया गया तथा परिसर में केवल पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसाय का सेटअप लगा पाया गया। मौके पर सिलेण्ड्रीकल टैंको मे लगे आउटलेट वाल्व से पाईप के द्वारा इलेक्ट्रीक पम्पिग मशीन से पेट्रोलियम पदार्थो का एक दूसरे में मिश्रण कर एवं ट्रक टैंकर में पेट्रालियम पदार्थ के भण्डारण व मिश्रण पेट्रोलियम पदार्थो के खरीद व बिकी बिल से इस स्थान पर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थो का व्यवसाय किया जाना प्रमाणित हुआ जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि के साथ पर्यावरणीय नुकसान एवं मानवीय जीवन के लिए प्रबल दुर्घटनाकारक परिस्थितियाँ निर्मित होना पाया गया। मौके पर फर्म प्रोपराइटर के पास सोल्वेन्ट रेफिनेट और स्लॉफ आदेश 2000 व अन्य कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना पाया गया न ही श्री शिव कुमार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थो की खरीद माल का अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। वक्त मौका पाये गये पेट्रोलियम पदाथो की निर्धारित प्रकिया अनुसार सैम्पलिंग की गई। फर्म का कृत्य पेट्रोलियम रूल्स एवं सोलवेट आदेश 2000 एवं Ms and HSD Order 2005 का का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर श्री शिव कुमार अग्रवाल से मौके पर ही राज्य हित में एक ट्रक टैंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे.01 जी 4906, 22780 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ लोहे के 35 ड्रम एक इलेक्ट्रीक मशीन 0.75–1.0 एचपी जिसके दो तरफ पाईप व वाल्व जुडे है प्लास्टिक की खाली बोतल आधा लीटर की 1070, एक लीटर की 460, तीन लीटर 140 चार लीटर की 84 बोतले एक जनरेटर डीजल कम्पनी किलोस्कर 10 केवीए कब्जे राज लिये जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना अराई को सुरक्षार्थ सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर लोहे के सिलेण्ड्रीकल टैंक संख्या 01, 02, 03, 04, 05 (प्रत्येक की क्षमता 35 के.एल) जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ का बिना वैध अनुमति के भण्डारण व मिश्रण किया जाना पाया गया। उक्त 05 टैंकरो को श्री शिव कुमार से राज्य हित में कब्जे लिया जाकर यथास्थिति श्री दीपक अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गोविन्द प्रसाद अग्रवाल प्रोपराईटर मैसर्स अमित मिनरल्स ग्राम चौसला अराई निवासी अमित कुँज, मित्र निवास कॉलोनी मदनगंज किशनगढ को सुरक्षित रखने की वचनबद्धता पर सुपुर्द किए। प्रकरण में पुलिस थाना, अराई में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें अनुसंधान जारी है। इस प्रकार मैसर्स अमित पेट्रो केम फर्म एवं फर्म मालिक श्री शिव कुमार अग्रवाल द्वारा आर्थिक लाभ के लिए मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण, मिश्रण व व्यवसाय किया जाना पाया गया इनका यह कृत्य सोल्वेट रेफिनेट तथा स्लॉप आदेश 2000 एवं MS and HSD Order 2005 पेट्रोलियम रूल्स व अन्य प्रवर्तित प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8 व 3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है। पैरोकार सरकार ने एफ.एस.एल रिपोर्ट पेश की। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा एक ट्रक टैंकर रजिस्ट्रेशन सख्या आर.जे.01.जी 4906, 22780 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, लोहे के 05 सिलेण्ड्रीकल टैंक (प्रत्येक की क्षमता 35 के.एल) लोहे के 35 ड्रम, एम जनरेटर, एक इलेक्ट्रिक मशीन, कुल प्लास्टिक बोतले 1754 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी व उनके अधीनस्थ दिनांक 02.02.2023 को अप्रार्थी के कार्य स्थल पर जांच करने आये थे परन्तु उन्होने बिना किसी विधिक अधिकार के विधि विरूद्ध तरीके से टेंकर व अन्य सामान जब्त किया गया। प्रार्थी के परिसर में विधिवत रूप से व नियमानुसार सिलेण्डीकल टेंक लगे हुए थे इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं थी। टैकर संख्या आर.जे.01 जी 4906 खडा पाया गया । जिसमें पेटोलियम पदार्थ भरा पाया गया है वह तथ्य गलत लिखा गया है जिला रसद अधिकारी ने टेंको में से तरल पदार्थ ट्रक संख्या आर.जे.01 जी. 4906 में भरवाया यह सारी कार्यवाही शाम को प्रारम्भ की गयी और अगले दिन सुबह करीब 9 बजे तक विधि विरूद्ध कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जिला रसद अधिकारी ने स्वयं टेंक संख्या 1 व 3 में से तरल पदार्थ निकलवा कर ट्रक टेंकरो में भरवाया तथा झूठी साक्ष्य का

जिला कलक्टर,
अजमेर

गठन किया। जो इलेक्ट्रोनिक मोटर का उल्लेख किया गया है। उस सबंध में मोटर जो टेंकरो के आसपास जो पानी भरा गया तथा वो पानी निकलने के काम आती है। प्रार्थी को जो दस्तावेज सरकारी विभाग से जारी हुए थे वह सब नियमानुसार थे तथा उसने नियमों के अनुसार ही कार्य किया उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही थी। अप्रार्थी द्वारा जो भी पैट्रोलियम पदार्थ रखे गये वह विधिवत रूप से रखे गये उसमें किसी प्रकार के नियमो का उल्लंघन नहीं किया गया। दिनांक 10.9.2021 को अप्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर अजमेर को रिटेल की एनओसी के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 15.09.2021 को श्रीमान् जिला कलक्टर अजमेर द्वारा चार विभागो को पत्र जारी किये गये ततपश्चात 4 विभागो की एनओसी प्राप्त होने के पश्चात श्रीमान् जिला कलक्टर, अजमेर, द्वारा दिनांक 12.10.2022 को यह आदेश पारित किया गया। अतः अमित पैट्रो कैमिकल चौसाला द्वारा ग्राम चौसला तहसील किशनगढ जिला अजमेर के खसरा नम्बर/प्लाट नम्बर 481712/56, 713/56, 714/56 पर स्वयं के प्रयोजनार्थ पैट्रोलियम वर्ग ए मेथेनोल 105 केएल पैट्रोलियम वर्ग बी एमटीओ एवं सीए 210 केएल व पैट्रोलियम वर्ग एमएफ 005 के एल स्टोरेज विस्फोटक विभाग से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर अजमेर को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 12.10.2021 में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें यह वर्णित किया गया था कि आपके कार्यालय में एमटीओएमएफओ के स्टोरेज व रिटेल हेतु एनओसी के लिए निवेदन किया गया था। जिसके कम में आपके कार्यालय से दिनांक 12.10.2021 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जिसमें रिटेल की जगह स्वयं के प्रयोजनार्थ कर दिया गया है। दिनांक 26.04.2022 को उपखण्ड अधिकारी अरांई जिला अजमेर में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। श्रीमान् जिला कलक्टर अजमेर दिनांक 03.06.2022 को जिसमें फर्म कार्य/उत्पादन उद्योग बाबत वस्तुतः स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। उसके पश्चात दिनांक 13.06.2022 को अप्रार्थी की फर्म द्वारा स्टोरेज/रिटेलिंग की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी उसके पश्चात दिनांक 12.04.2022 को श्रीमान् जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। दिनांक 11.09.2022 को पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के लिए प्रार्थना पत्र अप्रार्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया उसके पश्चात संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक विभाग के द्वारा दिनांक 08.03.2022 को दस साल की फीस प्रति वर्ष 20,000 रूपये के हिसाब से कुल दो लाख रूपये राजकोष में जमा कराने के पश्चात अनुज्ञप्ति जारी की गई। अनुज्ञप्ति के अनुसार ए क्लास का 40 केएल बी क्लास का 150 के एल व सी क्लास का 40 40 के एल पैट्रोलियम पदार्थ के सबंध में अनुज्ञप्ति जारी की गयी दिनांक 30.09.2022 को जिला कलक्टर नागौर के द्वारा बी क्लास पैट्रोलियम पदार्थ की खुली निलामी की गयी। उस निलामी के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर के द्वारा दिनांक 04.10.2022 को अप्रार्थी की फर्म के दस्तावेजो के आधार पर चालान जमा करवाया गया तथा चालान संख्या 67104476 व 67169551 तहत कुल राशि 102600+307800 कुल 4,10,400/– रूपये जमा करवाया गया तथा 12780 लीटर माल व खाली ड्रम प्लास्टिक की टंकिया पुलिस थाना कोतवाली नागौर से प्राप्त कर ली गयी थी। अप्रार्थी द्वारा विधिवत रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का क्रय किया गया उनका भण्डारण किया गया तथा विधिवत रूप से कार्य किया गया। अप्रार्थी द्वारा कलक्टर अजमेर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात तथा अतिरिक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात विधिवत रूप से कार्य किया गया । अप्रार्थी द्वारा किसी भी नियम व विधि का उल्लंघन नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा किसी मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ का विक्रय नहीं किया गया और ना ही राज्य सरकार को कोई राजस्व हानि पहुँचाई। 6 टैंक खरीद है वो विस्फोटक विभाग द्वारा अप्रूव्ड है व भारत सरकार का जीएसटी पेड जरिये बिल खरीद है। अग्निशमन उपकरण मौके पर मौजूद थे। उनका बिल भी है। हमारे द्वारा इस प्रकार का कोई उत्पाद नही बेचा गया है जिससे किस नियम व विधि का उल्लंघन होता हो। अप्रार्थी ने कोई पर्यावरणीय नुकसान कारित नहीं किया गया है और ना ही मानवीय जीवन के लिए प्रबल दुर्घटनाकारक परिस्थितियाँ पैदा की। जिला रसद अधिकारी के विधि विरूद्ध कृत्य से अप्रार्थी का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी ने पेटोलियम रूल्स एवं सोलवेट आदेश 2000 एण्ड एमए

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *

जिला कलक्टर,
अजमेर

एण्ड एचएसडी आदेश 2005 का कोई उल्लंघन नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाकर जप्तशुदा सामान अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश प्रदान करे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली फर्द मौका व जब्ती रिपोर्ट, नजरी नक्शा, फर्द सैंपल व एफ.एस.एल रिपोर्ट के संदर्भ में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब, दस्तावेंजों का अवलोकन किया गया। दिनांक 02.02.2023 को अवैध पेट्रोलियम पदार्थ रोकथाम अभियान आदेश की पालना में प्राप्त शिकायत की जॉच के क्रम में श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय जांच दल द्वारा मैसर्स अमित पेट्रो केमिकल खसरा नम्बर /प्लॉट नं0 48, 712/56, 713/56, 714/56 ग्राम चौसला, एच.पी. पेट्रोल पम्प के पास, तहसील अराई अजमेर स्थल पर पहुँचे। वरवक्त जांच मौके पर उपस्थित श्री शिव कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गोविन्द प्रसाद, अग्रवाल निवासी एस 63 अमित कुंज, मित्र निवास कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ़ द्वारा स्वयं को फर्म का प्रोपराइटर बताया गया और जॉच कार्य करवाया गया। वक्त जांच मौके पर परिसर में 06 बडे सिलेण्ड्रीकल टैंक (क्षमता प्रत्येक 35 के.एल) रखे पाये गए जिन प्रत्येक टैंक में तरल पदार्थ निकासी के ओपन आउटलेट वाल्व लगे होना पाया गया। मौके पर पाये गए उक्त टैंको के पास एक ट्रक टैंकर रजिस्टेशन संख्या आर.जे.01.जी 4906 खडा पाया गया जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन मे जवाब पेश कर जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा की गई कार्यवाही को विधि विरूद्ध व द्वेषपूर्वक बताया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक/न्याय/एनओसी/2021/15093 दिनांक 12.10.2021 पेश किया जिसमें अमित पेट्रो केमिकल द्वारा ग्राम चौसाला तहसील किशनगढ़ के खसरा नं./प्लांट नं. 48, 712/56, 713/56, 714/56 पर स्वंय प्रयोजनार्थ पेट्रोलियम वर्ग ए मेथेनॉल 105 के.एल. पेट्रोलियम वर्ग बी MTO & C9 210 के.एल व पेट्रोलियम वर्ग सी MFO 105 के.एल. स्टोरेज विस्फोटक विभाग से पेट्रोलियम नियमों के तहत अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय से जारी, कार्यालय ग्राम पंचायत देवपुरी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, नगर परिषद किशनगढ़ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड किशनगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र, कार्यालय पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र, कार्यालय पुलिस उपअधीक्षक वृत्त किशनगढ़ ग्रामीण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीसो) द्वारा दिनांक 08.03.2022 जारी अनुज्ञप्ति पत्र दिया जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2023 तक हैं जिसका अवलोकन किया जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ का विवरण Petrolium Class A in bulk – 35.00 KL, Petoleum Class A otherwise than in bulk - 5.00 KL, Petroleum Class B in bulk - 140 KL Petroleum Class B, otherwise than in bulk – 10.00 KL Petroleum Class C in bulk- 35.00 KL, Petroleum Class C, otherwise than in bulk – 5.00 KL कुल क्षमता 230.00 KL होना अंकित हैं। इसके अतिरिक्त अधिष्ठापनों में पेट्रोलियम के आयात और भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति लाईसेंस नं. P/NC/RJ/15/2496(P516970) व कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा जारी संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जो दिनांक 12.07.2022 को जारी किया गया भी पेश किया। अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में उपरोक्त दस्तवेज, अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुज्ञप्ति पत्र पेश किये जाते हुए यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त पेट्रोलियम पदार्थ जिला रसद अधिकारी नागौर व थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर से जरिये खुली नीलामी दिनांक 30.09.2022 को अप्रार्थी सं 2 द्वारा प्राप्त किया गया हैं। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा प्रस्तुत एफ.एस.एल रिपोर्ट के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा किये कथन कि " नमूना सं. 01 में कैरासिन, नमूना बी–1 और सी–1 में मिले पदार्थ का फ्लेश बिन्दु 40 डिग्री व 52 डिग्री हैं जबकि जिन ईंधनों का फ्लैश बिन्दु 37.08 डिग्री सेल्सियस (100 डिग्री फारेनहाइट) से कम होता है उन्हे ज्वलनशील कहा जाता हैं, जबकि उस तापमान से ऊपर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर, अजमेर

फ्लेश बिन्दु वाले ईंधन को दहनशील कहा जाता हैं। पैरोकार सरकार ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व कथन प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे अप्रार्थी के कथनों का खण्डन होकर इस्तगासे के बिन्दु साबित हो। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र के तथ्य अनुसार शिकायत की जांच के क्रम में की गई उपरोक्त कार्यवाही सोल्वेंट, रेफिनेंट तथा स्लॉप आदेश 2000 एवं MS and HSD Order 2005, पेट्रोलियम रूल्स व अन्य प्रवर्तित प्रावधान व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत होना साबित नहीं हो सका हैं। लिहाजा अप्रार्थी फर्म से जब्त पेट्रोलियम पदार्थो का मिश्रण करने सम्बन्धित कृत्य पैरोकार सरकार सबित करने में विफल रहे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी अजमेर को निर्देश दिये जाते है कि कब्जेराज ली गई सामग्री/वाहन/पदार्थ यथाः– एक ट्रक टेंकर रजिस्ट्रेशन संख्या RJ-01-G-4906. 22780 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, लोहे के 05 सिलेण्ड्रीकल टैंक (प्रत्येक की क्षमता 35 केएल), लौहे के 35 ड्रम, एक जनरेटर, एक इलेक्ट्रिक मशीन, कुल प्लास्टिक बोतलें 1754 को अप्रार्थीगण को पुनः सौंपने (रिलीज) के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दि 22.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर